प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 14.02.2024

वाहन पर विधायक का कूटरचित वाहन पास लगाकर चलने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0प0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा विधायक का अवैध/कूटरचित वाहन पास लगाकर स्कार्पियो वाहन स0 UP53 EL 2121 चलाने वाला अभियुक्त आदित्य सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह वर्तमान पता रूस्तमपुर आजाद चौक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर मूल निवासी पठखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया व उक्त वाहन को पुलिस कब्जा में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 417,419,467,468,471 भादवि पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2024 को म0उ0नि0 दीपमंजरी पाण्डेय चौकी प्रभारी नौकायान मय पुलिस टीम द्वारा चम्पा देवी पार्क के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान गौतम विहार विस्तार की तरफ से एक सफेद रंग की स्कार्पियों वाहन आती हुई दिखाई दी, जिसको रूकने का इशारा किया गया तो भागने का प्रयास किया जिसे घेरकर रोका गया वाहन को चेक किया गया। वाहन के आगे एक पास लगा हुआ है जिस पर बड़े अक्षरों मे विधायक लिखा हुआ था जिसके नीचे अंडाकार आकार मे उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो तथा अंदर विधानसभा सचिवालय श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन अथवा लोक भवन के अतिरिक्त सचिवालय के समस्त भवनों के लिए मान्य लिखा है। गाड़ी न0 UP53 EL 2121 क्रम संख्या 1350 वैधता दिसंबर 2023 तक मार्शल उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रिंट है का फर्जी होलोग्राम लगा है। जिसको सफेद प्लास्टिक मे लेमिनेसन करा कर वाहन के बाएं तरफ सीसे के निचले हिस्से में प्लास्टिक के टेप से चिपकाया गया है। जिसके संबंध मे अभियुक्त उपरोक्त से पूछने पर बताया कि यह पास मैंने अपने गाँव के ही बगल के रहने वाले चाचा की गाड़ी पर लगे पास से कूट रचना कर बनाया है। कूट रचित पास जो मैंने बनाया है इसका उपयोग मैं टोल टैक्स आदि से बचने के लिए व सरकारी भवनों व सरकारी कार्यालयों मे इसी पास के आधार पर लोगों का काम करा कर अनुचित लाभ कमाने मे करता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदित्य सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह वर्तमान पता रूस्तमपुर आजाद चौक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर मूल निवासी पठखौली थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 92/2024 धारा 417/419/467/468/471 भादवि थाना रामगढ़ताल

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 417,419,467,468,471 भादवि थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 920/2017 धारा 406/420 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद सन्त कबीरनगर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 दीपमंजरी पाण्डेय चौकी प्रभारी नौकायान थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 ओम प्रकाश बिन्द थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. का0 आशुतोष यादव , थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. का0 अनिल कुमार पाणडेय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. का0 लव कुमार गौड़ , थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
6. का0 नकीब खान थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर